**13 (3) ऐसे अधिकारियों द्वारा दिए गए त्याग–पत्र को मंजूर करना, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक मामले लंबित हों अथवा विचाराधीन हों।**

सरकारी उपक्रम समिति ने अपनी 50वीं रिपोर्ट में मंत्रालय और सरकारी उद्यमों की उस स्थिति में असमर्थता पर चिंता व्यक्त की, जब जिन कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां शुरू की गई थीं उन पर उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों पर मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे तीन माह के नोटिस संबंधी ऐसे संविदात्मक खंड का सहारा लेकर कंपनी की सेवा छोड़ गए, जो कि सरकारी उद्यमों में नियुक्ति की शर्तों का अनिवार्य अंग होता है। इसी प्रकार के मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ब्यूरो की जानकारी में लाए गए हैं। यह देखा गया है कि मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कार्यपालक अपने त्याग–पत्र में दर्शाई गई नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ड्यूटी पर आना बंद कर सकते हैं।

2. लोक उद्यम ब्यूरो ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित रक्षोपाय ढूंढने के संबंध में इस मामले की मुख्य सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की कि दोषी अधिकारी सरकारी उपक्रमों में अपने पदों से त्याग–पत्र देने मात्र से साफ न बच निकलें। यह सुझाव दिया जाता है कि इस समस्या से दो स्तरों पर निपटा जा सकता है अर्थात् भर्ती के स्तर पर और सेवा समाप्ति के स्तर पर। जहां तक किसी उम्मीदवार की भर्ती के समय किए जाने वाले अपेक्षित रक्षोपाय का संबंध है, उम्मीदवार ने अपनी पिछली सेवा से त्याग–पत्र किन परिस्थितियों में दिया उनका पता लगाने सहित उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के संबंध में लोक उद्यम ब्यूरो के तारीख 6 जून, 1979 के गोपनीय अ.शा. पत्र सं. 2(34)/78– बी पी ई (जी.एम.–I) में बताए गए अनुदेशों को, उद्यम की सेवा में अवांछित लोगों की भर्ती को रोकने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। लोक उद्यम ब्यूरो के तारीख 14.12.82 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवारों के आवेदन–पत्र ''उचित माध्यम से'' भेजे जाने की प्रक्रिया का अनुपालन न करने के अनुसार संबंधी जानकारी का समुचित प्रसार करने का भी इस संबंध में हितकर प्रभाव हो सकता है।

3. जहां तक सेवा–समाप्ति का संबंध है, प्रशासनिक मंत्रालयों को लोक उद्यम ब्यूरो के तारीख 19 दिसंबर, 1982 के ''गुप्त'' अर्ध–शासकीय पत्र द्वारा, जो शीर्ष पदधारियों की नियुक्ति संबंधी निबंधन और शर्तों के संबंध में है, यह सलाह दी गई है कि नियुक्ति संबंधी उक्त निबंधन और शर्तों में यह खंड शामिल कर लें कि सरकार का बोर्ड स्तरीय मुख्य कार्यपालकों का त्याग–पत्र स्वीकार न करने का अधिकार सुरक्षित है बशर्ते कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो अर्थात् अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोप–पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया हो। ऐसा ही उपबंध बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों की नियुक्ति संबंधी निबंधन और शर्तों में शामिल किया जाए। ऐसी स्थिति में, कार्यपालकों के लिए 'सरलता से कार्यमुक्त हो जाने' का विकल्प नहीं रहेगा।

4. इसलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि पूर्ववर्ती पैराओं में उठाए गए मुद्दे उद्यम के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखे जाएं और ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में कार्यपालकों के त्याग–पत्र स्वीकार न करने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाए।

5. कृपया, जवाब देकर कृतार्थ करें।

**(लोक उद्यम ब्यूरो का तारीख 19 जनवरी, 1983 का अ. शा. पत्र सं. 2(2)/82–बी पी ई (जी.एम.–I)**